सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खरेश

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2000/112 दायरा दिनांक 12.07.2000

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रूपाराम पुत्र गोपीराम 2. हीराराम पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रवणराम पुत्र मेघाराम 2. रामूराम पुत्र नेताराम 3. पुसाराम पुत्र हीराराम 4. रूपाराम पुत्र हीराराम 5. जेठाराम पुत्र हीराराम 6. मेघाराम उर्फ लिखमाराम पुत्र भागूराम 7. कालूराम पुत्र भागूराम 8. जिवली बैवा मूलाराम फौत 9. किस्तुरा पुत्र मूलाराम फौत 9/1हेमाराम पुत्र किस्तुरा 9/2राजूराम पुत्र किस्तुरा 9/3गोविन्दराम पुत्र किस्तुरा 9/4भंवरी पुत्री किस्तुरा 9/5चुका पुत्री किस्तुरा 9/6सूगना पत्नि किस्तुरा 10. सोहनराम पुत्र मूलाराम 11. सांवताराम पुत्र मूलाराम 12. चेनाराम पुत्र मूलाराम 13. मदनाराम पुत्र मूलाराम 14. करनाराम पुत्र रामूराम 15. बालूराम पुत्र हडमानराम फौत 15/1 शान्ति पत्नि बालूराम 16. गोरली पत्नि हडमानराम फौत 17. लिछमण पुत्र डालूराम 18. जेतुडी पत्नि डालूराम 19. जेठाराम पुत्र भूराराम फौत 19/1मांगी पुत्री जेठाराम 20. सांवलाराम पुत्र भूराराम 20/1तेजाराम पुत्र सांवलाराम 20/2मगलाराम पुत्र सांवलाराम 20/3राधा पुत्री सांवलाराम 21. नानूराम पुत्र भूराराम 22. खुमाराम पुत्र भूराराम 23. उगमाराम पुत्र पीथाराम 24. पुरखाराम पुत्र पीथाराम 25. बाबूराम पुत्र पीथाराम 26. अमराराम पुत्र पीथाराम 27. ग्यारसी पत्नि पीथाराम 28. शंकरराम पुत्र गोपीराम 29. चूकली पत्नि गोपीराम 29/1 मीरा पुत्री गोपीराम 29/2 सोहनी पुत्री गोपीराम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		29/3 नाथी पुत्री गोपीराम 29/3/1दुलाराम पुत्र मालूराम 29/3/2मुकेश पुत्र दुलाराम 29/3/3मन्जू पुत्री दुलाराम 29/3/4चन्द्री पुत्री दुलाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 30. कानाराम पुत्रगंगाराम जाति जाट निवासी खरेश तह. डीडवाना 31. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

हस्ब धारा , 88, 188 राज. काश्त.अधि.

उपस्थित–

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण , अनुपस्थित।

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक **10.07.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा खरेश की शहरद मे जाव ख.न. 59 रकबा 45 ब़ीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख.न. 58 रकबा 06 बिस्वा स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 30 की पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की जमीन है। नकल खतौनी पेश है।

प्रतिवादी संख्या 01 श्रवण वादीगण का सगा काका लगता है।तथा लालू रामकरण पिता गणपत वादीगण के बाबा के लड.के भाई लगते है।

मुतनाजा जाव व बैरा ख.न. 59 रकबा 45 ब़ीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख.न. 58 रकबा 06 बिस्वा में वादीगण के पिता स्व. गोपीराम, प्रतिवादी संख्या एक श्रवणराम, व लालूराम के पिता स्व. गणपतराम तीनो भाईयो का 1/4 हिस्सा थां।सम्वत 2026 सें 2029 की जमाबन्दी में गणपत गोपीराम श्रवण नाथिया पिता मेगाराम 1/4 दर्ज है।वादीगण के दादा स्व. मेगाराम के केवल तीन पुत्र गणपत गोपीराम श्रवण ही थें। नाथिया नाम का कोई पुत्र नही था।खातेदारी में नाथिया पुत्र मेगाराम गलत दर्ज हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 01 श्रवणराम व लालू रामकरण के पिता स्व. गणपत ने ततकालिन पटवारी से नाजायज सांठ–गांठ कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जानबुझ कर फर्जीवाडा करके जो सम्वत 2026 सें 2029 की जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम गोपीराम दर्ज था।उसी वर्ष की जमाबन्दी में काट–छाट कर गोपी के स्थान पर मोती नाम दर्ज कर दिया जबकि मोती नाम का भी कोई पुत्र नही था।तथा फिर दिनाकं 17.06.76 को गणपत व मोती फौत होना बताकर नामान्तरण संख्या 112 से गणपत व मोती के स्थान पर गणपत के पुत्र लालू व रामकरण के नाम नामान्तरणकरण भर कर खातेदारी दर्ज कर दी गई, इस प्रकार से गोपी व उसके वारिसान वादीगण का हिस्सा ही रेकर्ड से गायब कर दिया गया।

लालू व रामकरण पिता गणपत ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 मेघाराम, व कालूराम को बैच दिया है।वर्तमान में उक्त खसरान में वादीगण व प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या एक का हिस्सा है।मगर वादीगण के पिता का नाम गलत रूप से हटा दिया गया। जिस कारण वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज होना रह गया।

वर्तमान में मुतनाजा खसरा नम्बरान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक के हिस्से की खातेदारी में प्रतिवादीगण संख्या एक श्रवण व नाथू पिता मेघा दर्ज है।जबकि नाथू नाम का स्वं मेगा का कोई पुत्र नही था।स्व. मेगाराम के तीन पुत्र स्व. गोपीराम, स्व. गणपत व प्रतिवादी संख्या एक श्रवण ही है।नाथू या नाथिया व मोती नाम के कोई पुत्र नही हुए। राजस्व अधिकारियो ने रेकर्ड में इनके नाम गलत लिखे है।

मुतनाजा खसरान के अलावा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के जो अन्य खेत है।उनकी खातेदारी सही रूप से स्व. मेगाराम के तीनो पुत्रो के नाम से सही दर्ज है।नकल पासबुक पेश है।

मुतनाजा जाव व बैरा ख.न. 59 रकबा 45 ब़ीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख.न. 58 रकबा 06 बिस्वा के 1/4 हिस्से मे से 1/3 हिस्सा वादीगण का पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का रहा है।मगर राजस्व अधिकारियो ने जानबुझ कर वादीगण के पिता का नाम गलत लिख कर बाद में हटा दिया गया। जिसकारण वादीगण का नाम खातेदारी में नही आया।जिस कारण अब प्रतिवादी संख्या एक श्रवण की नियत में फर्क आ गया है। तथा वे दिनाकं 25.06.2000 को वादीगण को मुतनाजा खसरान के हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी जिससे वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड गये है।इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी हो गया है।

मुतनाजा खसरा नम्बरान जाव व बैरा में वादीगण का 1/4 हिस्से मे से 1/3 हिस्सा पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का रहा है।तथा गलत खातेदारी इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या एक वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है, यदि प्रतिवादी संख्या एक अपने उद्धेश्य में सफल हो गया तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अजहद नुक्शान होगा जिसकी क्षति–पूर्ति नकदी से होना सम्भव नही होगी।इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना भी लाजमी हो गया है।

प्रार्थना वादीगण है कि

मौजा खरेश की शहरद मे जाव ख.न. 59 रकबा 45 ब़ीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख. न. 58 रकबा 06 बिस्वा में 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 06 ता 07 मेघाराम व कालूराम के साथ वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। तथा नाथू पिता मेगाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जावें।

वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वे भविष्य मे मुतनाजा जमीन में वादीगण के हिस्से में ना तो स्वयं दखल करे और ना ही अन्य किसी से दखल करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 31 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 31.08.2000 को प्रतिवादी संख्या 02 07 21 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 02 07 21 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी श्रवण की और से मोहम्मद अली शैरानी ने व. नामा पेश किया।पत्रावली तामिल हेतु नियत की गई।

दिनाकं 12.05.2003 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 5 व 08 ता 10 13 से 20 व 22 से 31 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाकं 23.05.2003 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 5 व 08 ता 10 13 से 20 व 22 से 30 की और से मोहम्मद अली शैरानी ने व. नामा पेश करने हेतु समय चाहा । पत्रावली व. नामा व जबाब हेतु नियत की गई।

दिनाकं 02.08.2011 को वादीगण व प्रतिवादी श्रवण ने राजीनामा पेश किया व दिनाकं 14.12.2011 ने अधिवक्ता मों अली शैरानी ने अपना वकालतनामा वापस लिया।

वादी ने अपनी साक्ष्य दस्तावेजी में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो PW-1 है।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।
अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खरेश की शहरद मे जाव ख.न. 59 रकबा 45 ब़ीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख.न. 58 रकबा 06 बिस्वा में 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 06 ता 07 मेघाराम व कालूराम के साथ वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। व खातेदार प्रतिवादी संख्या 29 चुकली, प्रतिवादी संख्या 08 जीवली प्रतिवादी संख्या 16 गोरली तथा नाथू पिता मेगाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **10.07.2017** को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खरेश में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2000/112 दायरा दिनांक 12.07.2000

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रूपाराम पुत्र गोपीराम 2. हीराराम पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रवणराम पुत्र मेघाराम 2. रामूराम पुत्र नेताराम 3. पुसाराम पुत्र हीराराम 4. रूपाराम पुत्र हीराराम 5. जेठाराम पुत्र हीराराम 6. मेघाराम उर्फ लिखमाराम पुत्र भागूराम 7. कालूराम पुत्र भागूराम 8. जिवली बैवा मूलाराम फौत 9. किस्तुरा पुत्र मूलाराम फौत 9/1हेमाराम पुत्र किस्तुरा 9/2राजूराम पुत्र किस्तुरा 9/3गोविन्दराम पुत्र किस्तुरा 9/4भंवरी पुत्री किस्तुरा 9/5चुका पुत्री किस्तुरा 9/6सूगना पत्नि किस्तुरा 10. सोहनराम पुत्र मूलाराम 11. सांवताराम पुत्र मूलाराम 12. चेनाराम पुत्र मूलाराम 13. मदनाराम पुत्र मूलाराम 14. करनाराम पुत्र रामूराम 15. बालूराम पुत्र हडमानराम फौत 15/1 शान्ति पत्नि बालूराम 16. गोरली पत्नि हडमानराम फौत 17. लिछमण पुत्र डालूराम 18. जेतुडी पत्नि डालूराम 19. जेठाराम पुत्र भूराराम फौत 19/1मांगी पुत्री जेठाराम 20. सांवलाराम पुत्र भूराराम 20/1तेजाराम पुत्र सांवलाराम 20/2मगलाराम पुत्र सांवलाराम 20/3राधा पुत्री सांवलाराम 21. नानूराम पुत्र भूराराम 22. खुमाराम पुत्र भूराराम 23. उगमाराम पुत्र पीथाराम 24. पुरखाराम पुत्र पीथाराम 25. बाबूराम पुत्र पीथाराम 26. अमराराम पुत्र पीथाराम 27. ग्यारसी पत्नि पीथाराम 28. शंकरराम पुत्र गोपीराम 29. चूकली पत्नि गोपीराम 29/1 मीरा पुत्री गोपीराम 29/2 सोहनी पुत्री गोपीराम 29/3 नाथी पुत्री गोपीराम 29/3/1दुलाराम पुत्र मालूराम 29/3/2मुकेश पुत्र दुलाराम 29/3/3मन्जू पुत्री दुलाराम 29/3/4चन्द्री पुत्री दुलाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 30. कानाराम पुत्रगंगाराम जाति जाट निवासी खरेश तह. डीडवाना 31. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

हस्ब धारा , 88, 188 राज. काश्त.अधि.

दिनांक 10.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी की और से अधिवक्ता अशोक कुमार भाकर व श्री, प्रतिवादी, अनु0 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खरेश की शहरद मे जाव ख.न. 59 रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा, व बेरा ख.न. 58 रकबा 06 बिस्वा में 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 06 ता 07 मेघाराम व कालूराम के साथ वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। व खातेदार प्रतिवादी संख्या 29 चुकली, प्रतिवादी संख्या 08 जीवली प्रतिवादी संख्या 16 गोरली तथा नाथू पिता मेगाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...................–.................
..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.07.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर खर्चा बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner